



Neutral Citation Number- 2026:AHC:50496

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5698/2026

रियाजुद्दीन

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: सैयद अहमद फैज़ान, ज़हीर असगर

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. श्री एस.एफ.ए. नकवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उनके सहायक अधिवक्ताओं श्री एस.ए. फैज़ान और श्री ज़हीर असगर तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या-1 से 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या-6 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रस्तुत रिट याचिका में, प्रत्यर्थी संख्या- 2-अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा दिनांक 19.11.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश द्वारा, दिनांक 15.07.2025 के अंतरिम राहत प्रदान करने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रावधानित रूप में, आवेदन प्रस्तुत करने का एक वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दिनांक 19.11.2025 के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है; साथ ही याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अगले चार सप्ताह के भीतर, कानून के पूर्ण अनुपालन में, इस संबंध में उचित आदेश पारित करे।
6. आठ सप्ताह की अवधि के लिए, अथवा जब तक उपर्युक्त आवेदन पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, इनमें से जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7. चूंकि इस रिट याचिका का निपटारा एकपक्षीय आधार पर किया गया है अर्थात् प्रत्यर्थियों से कोई जवाब माँगे बिना, अतः आज पारित किए गए इस आदेश को इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है; बल्कि संबंधित प्राधिकारी को इस मामले पर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा, और वह भी विधि तथा वर्तमान में लागू विधिक निर्देशों के पूर्णतः अनुरूप।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”